संख्याः — /X-4-19/1(17)/2019

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर,
फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।

देहरादूनः दिनांकः 19 मार्च, 2019

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4

विषयः **उत्तराखण्ड राज्य में चार धाम सड़क परियोजना (All Weather Road) में पड़ने वाली समस्त भूमि में, वन विभाग के स्वामित्व वाली वन भूमि प्रत्यावर्तन के सापेक्ष देय वन भूमि के मूल्य (Premium) के भुगतान से छूट प्रदान किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में चार धाम सड़क परियोजना (All Weather Road) के संदर्भ में वन भूमि प्रत्यावर्तन के सापेक्ष देय वन भूमि के मूल्य (Premium) के भुगतान से छूट प्रदान की जाती है। यह छूट मात्र एक बार के लिए उक्त प्रकरण हेतु प्रदान की जाती है, जिसे भविष्य में अन्य किसी प्रकरण में नजीर के रूप में नहीं समझा जाय।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 217 (1)/X-4-19/1(17)/2019 तददिनांकित्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव,/सचिव, लोक निर्माण विभाग/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हाउस न0–5 लेनसं0–4 तेगबहादुर मार्ग देहरादून।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।